संलग्नक 1.1
(पैरा 10 भाग 1 के संदर्भ में)

उद्योग मंत्रालय
फा सं.ए-42012/1/98 ई-IV/सीडीएन
भारत का राजपत्र
असाधारण
(भाग1-खंड1)
उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

<u>संकल्प</u>

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 1997

संख्या ए-42012/24/91ई .IV- आर्थिक उदारीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए और प्रशुल्क से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने देश के वृहद आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उद्योगों और विभिन्न उत्पादों के संबंध में प्रशुल्क के उपयुक्त स्तर की अनुशंसा करने के लिए स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग के गठन का निर्णय लिया।

2. आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और इनकी सहायता के लिए एक अपर-सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में पूर्णकालिक सदस्य होंगे। आयोग के अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे जिनकी संख्या 3 से 5 हो सकती है जिसमें कार्य की तात्कालिकता के आधार पर कुछ अंशकालिक सदस्यों को पूर्णकालिक सदस्य बनाने का विकल्प होगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चयन प्रशासन, वित्त, आर्थिक, उद्योग, वाणिज्य, कृषि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित संगत

क्षेत्रों के लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों में से किया जाएगा। अध्यक्ष की आरंभिक नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी। आयोग में मूल स्टाफ सहित एक सचिवालय होगा और सरकार के विद्यमान दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के अनुसार विशिष्ट अध्ययन आदि करने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शकों की नियुक्ति की जाएगी।

3. आयोग एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष और सदस्य सचिव को उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुरूप किसी औद्योगिक उपक्रम में किन्हीं दस्तावेजों, पुस्तक, रजिस्टर अथवा रिकार्ड को रखने वाले अथवा उस पर नियंत्रण करने वाले किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उक्त सामग्री प्रस्तुत करने का आदेश देने की उपयुक्त प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होंगी और किसी औद्योगिक उपक्रम में नियंत्रण करने वाले व्यक्ति अथवा उसमें कार्यरत किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने की भी शक्तियां होंगी। आयोग को अपेक्षित लचीलेपन के साथ सरकार अथवा सरकार से इतर दोनों में किसी विशेषज्ञ एजेंसी को अनुसंधान कार्य सौंपने का अधिकार भी होगा।

4. प्रशुल्क आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगेः-

   i) औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्र, आयात एवं निर्यात व्यापार तथा उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा संदर्भित प्रशुल्क के निर्धारण तथा व्यापारिक वस्तुओं के प्रशुल्क से संबंधित सभी मुद्दों पर एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में परामर्श देना और अनुशंसा करना।

   ii) वस्तुओं एवं उत्पादों के वर्गीकरण के साथ-साथ ऐसी वस्तुओं और उत्पादों पर लागू प्रशुल्क के संबंध में सरकार द्वारा सौंपे गए मामलों पर परामर्श देना।

iii) विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत तथा अन्य देशों के संबंध में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर तकनीकी अध्ययन करना ताकि प्रशुल्क निर्धारण के लिए संगत आंकड़े तथा मानदंड तैयार किए जा सकें।

iv) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना।

v) इसके कार्यकलापों पर सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5. उपरोक्त विषयों से संबंधित कोई विभाग/मंत्रालय स्वतः आधार पर अथवा उन्हें प्राप्त हुए किन्हीं प्रतिवेदनों/ज्ञापनों आदि के आधार पर आयोग को अध्ययन का अनुरोध कर सकेगा। आयोग को सुचारू रूप से कार्य करने की सुविधा देने और आयोग को असम्बद्ध/बहुल अध्ययन अनुरोध करके अधिक कार्य भार देने की संभावनाओं के निराकरण के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग प्रस्तावित अध्ययन अनुरोधों पर विचार करने के लिए एक लघु समिति का गठन कर सकता है। इस समिति में सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, राजस्व सचिव, वाणिज्य सचिव और अध्ययनों का अनुरोध करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव हो सकते हैं। यह आयोग इस समिति द्वारा संदर्भित आवश्यकता आधारित अध्ययनों पर ध्यान केन्द्रित करेगा और यथाशीघ्र उन पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। सभी संगत आंकड़े उपलब्ध करवाते हुए सरकार व्यापक परीक्षण के लिए किसी पक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगी।

6. प्रशुल्क आयोग पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय का नियंत्रण होगा।

हस्ता/-2/9/97

अशोक कुमार

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सभी की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता/-2/9/97

अशोक कुमार

संयुक्त सचिव, भारत सरकार